संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू) : (क) जी हां । दूरसंचार विभाग द्वारा डिजिटल स्थानीय टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर की 2 लाख लाइनें प्राप्त करने के लिए एक निविदा जारी की गई थी । यह निविदा 16.3.1992 को खोली गई थी । भारत में स्विचिंग उपस्कर के विनिर्माण के लिए पंजीकृत कंपनियों इस निविदा में भाग लेने के लिए पात्र थीं और इसमें भाग लेने वालों की सूची नीचे दी गई है :—

कंपनियों के नाम	सहयोगकर्ता
1. बिल्ट इलैक्ट्रानिक्स (प्रा०) लिमिटेड	एनईसी जापान ।
2. गोदी अल्काटेल इंडिया लिमिटेट	अल्काटेल, फ्रांस
3. फुजित्सू इंडिया लिमिटेड	फुजित्सू, जापान
4. सीमेंट्स इंडिया लिमिटेड	सीमेंट्सु, जर्मनी
5. इरिक्सन इंडिया लिमिटेड	इरिक्सन, स्वीडन
6. नाटेल्को	ओटेल्को द. कोरिया
7. इंटैलकाम प्राइवेट लिमिटेड	जीपीटी यू० के०
8. एटी एंड टी स्विचिंग सिस्टम्स (प्रा०) लिमिटेड	एटी एंड टी
9. भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	सी-डॉट
10. लारसन एंड टबरो लिमिटेड	सी-डॉट
11. मैल्ट्रान	सी-डॉट
12. नेल्को	सी-डॉट
13. इंस्ट्रूमेन्टशन लिमिटेड	सी-डॉट

(ख) और (ग) टेंडर का मूल्यांकन किया जा रहा है ।

मंत्रालय में लम्बित भ्रष्टाचार के मामले

3682. **डा० अबरार अहमद** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय को कितने अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली है तथा इन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई और इसके परिणाम स्वरूप कितने अधिकारियों को सजा दी गई ;

(ख) भविष्य में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या राजस्थान टेलीफोन के महाप्रबंधक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कुछ ऐसी शिकायतें मिली हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और वह जयपुर में इस पद पर कब से काम कर रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू): (क) स्थानीय खरीदारी करने में अनियमितताओं कम स्टौर रखने वालों को डाइवर्ट करने के कारण राजस्व की हानि होने, सरकारी धन के दुरुपयोग आदि के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं । इन शिकायतों की जांच की रिपोर्ट और केन्द्रीय सतकर्ता आयोग के परामर्श के आधार पर नियमित विभागीय कार्रवाई की जाती है । पिछले एक वर्ष के दौरान 520 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। 39 अधिकारियों को दंडित किया गया है ।

(ख) केंद्रीय सतकर्ता आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर नियमित रूप से निवारक और दंडात्मक उपाय किए जाते हैं । अधिक कदाचार के क्षेत्रों का पता लगाया जाता है और उन क्षेत्रों पर नियमित रूप से नजर रखी जाती है जिन मामलों के अनावश्यक होते है उनमें केंद्रीय सतकर्ता आयोग का गंभीर मामलों की जांच करने के लिए सहयोग

प्राप्त किया जाता है और इस प्रकार से की गई जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है ।

(ग) और (घ) तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक राजस्थान दूरसंचार सर्किल के विरुद्ध टूल बैगों की खरीद, तार फार्मों आदि की छपाई के बारे म आरोप की शिकायतें प्राप्त हुई थी इन शिकायतों की जांच की गई और इनमें कोई तथ्य नहीं पाए गए । जुलाई 1985 से जुलाई 1992 तक मुख्य महाप्रबंधक राजस्थान सर्किल का पद संभालते रहे ।

उत्तर प्रदेश में डाकघर भवनों का निर्माण

3683. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में डाकघरों के लिए भवनों के निर्माण का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो इसका जिलेवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० शी० रंगैया नायडू) : (क) जी हां । तथापि, विभाग की नीति बड़े डाकघरों के लिए भवन बनाने की है । इस मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर सरकार का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में डाकघर भवनों का निर्माण करने का है ।

(ख) विवरण संलग्न है । **(नीचे देखिए)**

(ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

उत्तर प्रदेश में निर्माण किए जाने के लिए प्रस्तावित डाकघर भवनों का जिलावार ब्यौरा

जिला	स्थान
फतेहपुर	1. फतेहपुर
	2. हटगांव
गाजियाबाद	3 कविनगर
कानपुर	4. अनवरगंज
	5. किदवई नगर
	6. पंकी
फर्रुखाबाद	7. करीमगंज (फतेहगंज)
	8. कन्नौज
	9. फतेहगढ़
	10. मलवान (फतेहगढ़)
बांदा	11. पिलानी
	12. बांदा